"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2010—श्रावण 22, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री हिमशिखर गुप्ता, भा. प्र. से. (2007) अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया, जिला कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 1-7/2002/1-7.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-07-2009 द्वारा श्रीमती निर्मला सिंह, (सेवानिवृत्त) सीनियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विभागीय जांच आयुक्त के पद पर 01 वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी. राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती सिंह की संविदा नियुक्ति अवधि में 02 वर्ष (दिनांक 21-07-2010 से 20-07-2012 तक) की वृद्धि प्रदान करता है. शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी.

2. यह सहमति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 367/सी. एफ/26793/बजट-5/वित्त/चार 2010, दिनांक 20-07-2010 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्रमांक ई 7-10/2005/1/2.— श्री अजयपाल सिंह, भा. प्र. से., तत्का. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर को दिनांक 22-09-2009 से 05-10-2009 तक (14 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19, 20 एवं 21 सितम्बर, 2009 को घोषित शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 9-2/2010/1-8.— श्री अमन कुमार सिंह (पूर्व भारतीय राजस्व सेवा) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के पद के विरुद्ध सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर तीन वर्ष अथवा आगामी आदेश तक संविदा नियुक्ति दी जाती है तथा इन्हें सचिव, मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री अमन कुमार सिंह की संविदा नियुक्ति की शर्तें बाद में प्रसारित की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2001.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को पारिवारिक कारणों से दिल्ली जाने के लिये दिनांक 27-7-2010 से दिनांक 31-07-2010 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 01-08-2010 का शासकीय विश्राम अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ 1/07/दो गृह/भापुसे/2005.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित कुमार गर्ग, भा. पु. से., पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द (छ. ग.) को व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 19-07-2010 से 24-07-2010 तक कुल 06 दिवस के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 17, 18 एवं 25-07-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अंकित कुमार गर्ग, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द (छ. ग.) के पद पद पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित कुमार गर्ग, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द (छ. ग.) अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2007.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अभिषेक शांडिल्य, भा. पु. से., एसडीओपी, मैनपुर जिला रायपुर, छ. ग. को स्वयं के विवाह हेतु दिनांक 08-07-2010 से दिनांक 27-07-2010 तक कुल 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री अभिषेक शांडिल्य, भा. पु. से., एसडीओपी, मैनपुर जिला रायपुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक शांडिल्य, भा. पु. से., एसडीओपी, मैनपुर जिला रायपुर के पद पद पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक शांडिल्य, भा. पु. से., एसडीओपी, मैनपुर जिला रायपुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ 1/14/दो गृह/भापुसे/2007.-- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राम गोपाल, भापुसे, एसडीओपी, बीजापुर, छ. ग. को सपाल्विक खंड वर्ष 2010-11 के अंतर्गत गृह नगर भटिंडा (पंजाब) जाने हेतु दिनांक 19-07-2010 से दिनांक 31-07-2010 तक कुल 13 दिवस के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 17-18 जुलाई 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री राम गोपाल, भापुसे, एसडीओपी, बीजापुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री राम गोपाल, भापुसे, एसडीओपी, बीजापुर, छ. ग. के पद पद पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राम गोपाल, भापुसे, एसडीओपी, बीजापुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. सिरदार, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2010

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2010 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-53/दो-गृह/परीक्षा/2010.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 16 अगस्त से 23 अगस्त, 2010 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 16-08-2010

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लियें	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 16-08-2010	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 17-08-2010

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 17-08-2010	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये. (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 18-08-2010	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 18-08-2010

(1)	(2)	(3)
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 18-08-2010	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त इंसूलेशन की आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	गुरुवार, दिनांक 19-08-2010	
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	

बुधवार, दिनांक 18-08-2010

(1)	(2)	(3)
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 19-08-2010

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 20-08-2010

(1)	(2)	(3)
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 20-08-2010

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जा. तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	सोमवार, दिनांक 23-08-2010	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावें कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 26-07-2010 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 9-106/गृह-दो/परीक्षा/2010.— विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 3-54/98/दो. ए. (3) वि. प. प्र. दिनांक 19 मार्च 1999 के द्वारा निर्मित विभागीय परीक्षाओं के लिये नियम के नियम-2 परीक्षा के विषय की टिप्पणी में निम्नानुसार अंश जोड़ा जाता है :—

"जिस अधिकारी ने राष्ट्रीय लालबहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण पर रहने की अवधि में दाण्डिक एवं सिविल विधि प्रक्रिया संहिता विषय की परीक्षायें उत्तीर्ण कर ली हैं, उसे प्रदेश की विभागीय परीक्षा में इन विषयों की परीक्षा से छूट दी जाती है".

2. उक्त संशोधन, अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्रमांक एफ. 01-31/31/स्था./2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. के. खरे, अधीक्षण अभियंता (रूपा.), प्रभारी मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर एवं परियोजना निदेशक, छ. ग. सिंचाई विकास परियोजना स्टेट डाटा सेन्टर रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक (वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित) प्रभारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग बिलासपुर (श्री बी. एल. राय के पदोन्नति से रिक्त पद) में पदस्थ करता है.

2. श्री पी. आर. चौरसिया, अधीक्षण अभियंता (रूपा.) छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना, स्टेट डाटा सेन्टर रायपुर द्वारा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ परियोजना निदेशक, छ. ग. सिंचाई विकास परियोजना, स्टेट डाटा सेन्टर रायपुर का आगामी आदेश तक कार्य संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 10-18/10/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 34 के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उपश्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-18/10/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under section 34 of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-19/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7 तथा धारा 33-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(अ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करते हुए उन न्यायालयों को तद्नुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) के अंतर्गत सशक्त करता है, परन्तु यह सशक्तिकरण उन्हीं कॉलम (3) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारियों को सशक्त करेगा जिनकी सेवावधि श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर 3 वर्ष या उससे अधिक होगी :—

अ. क्र. (1)	नाम श्रम न्यायालय (2)	पीठासीन अधिकारी (3)
1.	श्रम न्यायालय, दुर्ग	पीठासीन अधिकारी, दुर्ग
2.	श्रम न्यायालय, राजनांदगांव	पीठासीन अधिकारी, राजनांदगांव
3.	श्रम न्यायालय, रायपुर	पीठासीन अधिकारी, रायपुर
4.	श्रम न्यायालय, जगदलपुर (बस्तर)	पीठासीन अधिकारी, जगदलपुर (बस्तर)
5.	श्रम न्यायालय, बिलासपुर	पीठासीन अधिकारी, बिलासपुर
6.	श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	पीठासीन अधिकारी, अंबिकापुर
7.	श्रम न्यायालय, रायगढ़	पीठासीन अधिकारी, रायगढ़
8.	श्रम न्यायालय, कोरबा	पीठासीन अधिकारी, कोरबा

(ब) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, से प्रत्याहरित करता है और उन्हें वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनकी कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अंतरित की गई, उक्त कार्यवाहियों को उसी प्रक्रम से आगे चलायेंगे, जिस पर कि वे उक्त प्रकार से अंतरित हुई है.

No. F 10-19/2010/16.—In exercise of the powers conferred by Section 7 and 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), and in supersession of all previous notifications issued on this subject, the State Government hereby, order :—

(A) To constitute Labour Court as mentioned in column number (2) of the table mentioned below and empower them under the provision of Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) to adjudicate any subject of Industrial Dispute which appears in the IInd Schedule of the aforementioned Act, and to discharge the duties assigned to them but by this order only those presiding officer of Labour Courts are empowered who have completed 3 years service as presiding officer in Labour Court.

TABLE

S. No. (1)	Name of Labour Court (2)	Presiding Officer (3)
1.	Labour Court, Durg	Presiding Officer, Durg
2.	Labour Court, Rajnandgaon	Presiding Officer, Rajnandgaon
3.	Labour Court, Raipur	Presiding Officer, Raipur
4.	Labour Court, Jagdalpur (Bastar)	Presiding Officer, Jagdalpur (Bastar)
5.	Labour Court, Bilaspur	Presiding Officer, Bilaspur
6.	Labour Court, Ambikapur	Presiding Officer, Ambikapur
7.	Labour Court, Raigarh	Presiding Officer, Raigarh
8.	Labour Court, Korba	Presiding Officer, Korba

(B) To withdraw all the pending cases under aforementioned Act in respective labour courts constituted by various previous notifications and transfers to respective Labour Courts hereby constituted and it is further ordered that transferee Labour Court will take further proceeding in such cases from the stage they are transferred to them.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्रमांक 2511/एफ-8-11/2010-11/14-2.— विभागीय पत्र क्रमांक 1344/एफ-8/4/2010-11/14-2 रायपुर, दिनांक 30-04-2010 के अनुक्रम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ, 2010 हेतु दुर्ग जिले के बेरला तहसील अंतर्गत फसल तुअर (अरहर) को राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 5-58/2005/10-2.—राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3-1/2003 पी. टी. (पुनर्वास) फरवरी, 2008 के निर्देश के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा बिलासपुर जिले में अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित वनग्रामों के विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित करता है, जो निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्य (2)	पदनाम (3)
(1)	कलेक्टर, बिलासपुर	अध्यक्ष
(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर	सदस्य
(3)	सहायक आयुक्त, आदिमजाति कल्याण, बिलासपुर	सदस्य
(4)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर	सदस्य
(5)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर	सदस्य
(6)	उप संचालक, कृषि, बिलासपुर	सदस्य
(7)	जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, बिलासपुर	सदस्य
(8)	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर	सदस्य
(9)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सदस्य
(10)	उप संचालक/वनमंडलाधिकारी, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 5-58/2005/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-58/2005/10-2, दिनांक 23-07-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 23rd July 2010

No. F 5-58/2005/10-2.—As per directions vide letter No F. 3-1/2003-PT (relocation), February, 2008 issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forest, Government of India for displacement and rehabilitation of villages situated in the protected areas, the Government of Chhattisgarh hereby Constitutes District Level Implementing Committee to displace and rehabilitate the forest villages situated in the core area of Achanakmar Tiger Reserve in Bilaspur District, which is as following :—

Serial No. (1)	Nominated Chairman/Member (2)	Designation (3)
(1)	Collector, Bilaspur	Chairman
(2)	Chief Executive Officer Jilla Panchayat, Bilaspur	Member
(3)	Assistant Commissioner Tribal Welfare, Bilaspur	Member
(4)	Executive Engineer, Public Works Department, Bilaspur	Member
(5)	Chief Medical Officer, Bilaspur	Member
(6)	Deputy Director, Agriculture, Bilaspur	Member
(7)	District Education Officer, Education Department, Bilaspur	Member
(8)	Executive Engineer, Chhattisgarh Power Distribution Company Limited, Bilaspur.	Member
(9)	Executive Engineer, Water Resources Department, Bilaspur	Member
(10)	Deputy Director/Divisional Forest Officer, Achanakmar Tiger Reserve Bilaspur.	Member Secretary

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 5-58/2005/10-2.—राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3-1/2003 पी. टी. (पुनर्वास) फरवरी, 2008 के निर्देश के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, बिलासपुर जिले में अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित वनग्रामों के विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण (मॉनिटरिंग) समिति गठित करता है, जो निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्य (2)	पदनाम (3)
(1)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वन विभाग	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य

(1)	(2)	(3)
(5)	सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग	सदस्य
(6)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
(7)	सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
(8)	सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
(9)	सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(10)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
(11)	अचानकमार टायगर कंजरवेशन फाउंडेशन का अशासकीय सदस्य	सदस्य
(12)	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	सदस्य सचिव

2. अशासकीस सदस्य का नामांकन पृथक से किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 5-58/2005/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-58/2005/10-2, दिनांक 23-07-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 23rd July 2010

No. F 5-58/2005/10-2.— As per directions vide letter No F. 3-1/2003-PT (relocation), February, 2008 issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forest, Government of India for displacement and rehabilitation of villages situated in the protected areas, the Government of Chhattisgarh hereby Constitutes State Level Monitoring Committee to displace and rehabilitate the forest villages situated in the core area of Achanakmar Tiger Reserve in Bilaspur District, which is as following :—

Serial No. (1)	Nominated Chairman/Member (2)	Designation (3)
(1)	Chief Secretary	Chairman
(2)	Principal Secretary, Forest Department	Member
(3)	Principal Secretary, Agriculture Department	Member
(4)	Principal Secretary, Public Works Department	Member
(5)	Secretary, Tribal Welfare Department	Member
(6)	Secretary, Health Department	Member
(7)	Secretary, Education Department	Member
(8)	Secretary, Energy Department	Member
(9)	Secretary, Water Resources Department	Member
(10)	Principal Chief Conservator of Forests	Member
(11)	Non Official member of Achanakmar Tiger Conservation foundation	Member
(12)	Chief Wild Life Warden	Member Secretary

2. The Non Official member shall be nominated separately.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक एफ 1-23/2009/35/स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा की भरती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009" कहलायेंगे.

(2) ये नियम "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी से हैं जिसे शासन द्वारा सेवा में नियुक्त करने की शक्तियां सौंपी गई हो,

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति,

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत भरती के लिये ली गई प्रतियोगिता परीक्षा,

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन,

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ज़) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा,

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मौलिक/स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों.

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों,

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

परंतु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) सेवा के सदस्यों, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट हैं, की पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मौलिक या स्थानापन्न रूप से धारण करते हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जावेगी.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भरती के लिए उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जैसा कि वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

(5) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड विनिश्चित किये जायेंगे. तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जानी चाहिये, जो इन मापदण्डों के स्थान पर युक्तियुक्त मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किये जाने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु.**—

(क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हो या कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये शिथिलनीय होगी, अर्थात् :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" (सामरिक) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास तक की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष घोषित किया गया हो :—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और—

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं).

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किये गये अधिकारी,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(आठ) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिये भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान तथा महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों को उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

टिप्पणी - (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त नियम 8 के खण्ड (घ) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हो, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे, किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी.

टिप्पणी - (2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

(ञ) किसी भी मामले में उपरोक्तानुसार एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें.**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जैसी की अनुसूची-तीन में दर्शाई गयी हैं परन्तु :—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी आपवादिक मामलों में किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिससे नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने का पात्र समझे, तथा

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों, जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि ली हो जो ऐसे विश्व-विद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से मान्यता नहीं दी गई हो, पर भी नियुक्ति प्राधिकारी के स्वविवेक से परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये विचार किया जा सकेगा.

(तीन) **फीस.—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—** चयन के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

11. प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.—

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती—** नियुक्ति प्राधिकारी, एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे.

(एक) सेवा में भरती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें.

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा आदेशों के अनुसार संचालित की जायेगी जैसे की सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती-**

(एक) सेवा में सीधी भरती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें.

(दो) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार पर आधारित रहेगा.

(तीन) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अंतरालों पर गठित की जावेगी.

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, उप-नियम (3) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार के परामर्श से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे.

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी. जिसमें अनुसूची-चार के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित सदस्य होंगे.

परन्तु इस उप-नियम के अंतर्गत समिति के गठन के प्रयोजन के हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति का सम्मिलन ऐसे अन्तरालों में से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देशित करें किन्तु वह साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति की जायेगी.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया सरकार/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पद/सेवा में या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किये गये किसी अन्य पद या पदों पर (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (2) में दर्शित हैं सेवा की कालावधि पूर्ण कर ली हो.

स्पष्टीकरण .— (1) पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध पदोन्नति के विषय में लागू होंगे.

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) चयन सूची को तैयार करने के लिये मानदण्ड छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक चयन सूची के तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरीष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

16. **चयन सूची.—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, सामान्यतः इसके कैलेण्डर वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त होगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे सदस्यों के नाम चयन सूची में आये हों.

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाय, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

18. **परिवीक्षा.—** सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

19. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो शक्तियों को सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये निर्मित नियमों या राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिये)

पशु चिकित्सा सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये में)				टिप्पणी
		स्थायी	अस्थायी	योग		पद/ग्रेड	वेतन बैंड	वेतनबैंड में वेतन	ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	19	-	19	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-8	2	9300-34800	4300	-
2.	विपणन निरीक्षक	01	-	01	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-5	1	5200-20200	2400	डाइंग केडर
3.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	1787	42	1829	तृतीय श्रेणी कार्यपालक	S-5 S-7	1 2	5200-20200 9300-34800	2400 4200	12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात्
4.	प्रोजेक्टर आपरेटर	03	-	03	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-5	1	5200-20200	2400	डाइंग केडर
5.	सीनियर प्लान्ट आपरेटर	01	-	01	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-5	1	5200-20200	2400	डाइंग केडर
6.	संगणक/प्रगति सहायक	22	-	22	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-4 A	1	5200-20200	2200	-
7.	प्रगणक	18	02	20	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-4	1	5200-20200	1900	-
8.	जुनियर प्लान्ट आपरेटर	03	-	03	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-4	1	5200-20200	1900	डाइंग केडर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	प्रयोग शाला तकनिशियन	36	-	36	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-5	1	5200-20200	2400	-
10.	क्षेत्र सहायक	07	-	07	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-4	1	5200-20200	1900	डाइंग केडर
11.	पट्टीबंध वर्ग 1	03	-	03	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-4	1	5200-20200	1900	-
12.	वाहन चालक	80	01	81	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	S-4	1	5200-20200	1900	-

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

स. क्र.	पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	19	-	100 प्रतिशत	-	-
2.	विपणन निरीक्षक	01	-	-	-	डाइंग केडर
3.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	1829	90 प्रतिशत	10	-	5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् कार्य अच्छा होने के मूल्यांकन अनुसार, नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (जिन्होंने बायलाजी विषय के साथ हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो) विभागीय प्रशिक्षण के पश्चात् पदोन्नति के अवसर.
4.	प्रोजेक्टर आपरेटर	03	-	-	-	डाइंग केडर
5.	सीनियर प्लान्ट आपरेटर	01	-	100 प्रतिशत	-	कनिष्ठ प्लांट आपरेटर के पद से पदोन्नति
6.	प्रगति सहायक/संगणक	22	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	प्रगणक के पद से वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति.
7.	प्रगणक	20	100 प्रतिशत	-	-	-
8.	जुनियर प्लांट आपरेटर	03	100 प्रतिशत	-	-	-
9.	प्रयोगशाला तकनिशियन	36	100 प्रतिशत	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	क्षेत्र सहायक	07	100 प्रतिशत	-	-	-
11.	पट्टीबंधक वर्ग 1	03	-	100 प्रतिशत	-	चतुर्थ श्रेणी के पदों से पट्टीबंधक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति
12.	वाहन चालक	81	100 प्रतिशत	-	-	-

अनुसूची-तीन
(नियम-6 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	नियुक्ति प्राधिकारी	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पशु चिकित्सका सेवा एवं पशुधन विकास विभाग	विपणन निरीक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र विषय के साथ वाणिज्य में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि.
2.		सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	1. बी.एस.सी. जीव विज्ञान समूह के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक उपाधि. 2. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये, विभागीय पदोन्नति हेतु हा.से. परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण, साथ ही नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रशिक्षण उत्तीर्ण.
3.		प्रोजेक्टर आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. 2. प्रोजेक्टर आपरेटर, सिनेमा आपरेटर का अनुज्ञा पत्र/प्रोजेक्टर या जनरेटर प्रचालन का 2 वर्ष का अनुभव आई.टी.आई. प्रशिक्षित को प्राथमिकता दी जायेगी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.		प्रगति सहायक/ संगणक	21 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / गणित/ समाज शास्त्र में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि.
5.		प्रगणक	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण.
6.		जुनियर प्लांट आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संयंत्र चालन में प्रशिक्षित.
7.		प्रयोगशाला तकनिशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा विज्ञान समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिये. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान समूह (बायोलाजी) के साथ में स्नातक उपाधि धारी को प्राथमिकता दी जायेगी.
8.		क्षेत्र सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.
9.		वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक/अपर संचालक/ संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण (भारी तथा हल्के मोटरयान हेतु व्यवसायिक वाहन चालन की वैध अनुज्ञप्ति)

अनुसूची-चार

(नियम-14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पात्रता की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संगणक/प्रगति सहायक	सहायक सांख्यिकी [illegible]धकारी	05 वर्ष	1. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय, संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नाम निर्दिष्ट. 2. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय 3. सहायक संचालक (सांख्यिकी) संचालनालय	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	जुनियर प्लांट आपरेटर	सीनियर प्लान्ट आपरेटर	05 वर्ष	1. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय, संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नाम निर्दिष्ट. 2. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय 3. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संबंधित जिला	-
3.	प्रगणक	प्रगति सहायक/ संगणक	05 वर्ष	1. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय, संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नाम निर्दिष्ट. 2. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय 3. सहायक संचालक (सांख्यिकी) संचालनालय	-
4.	पट्टीबंधक चतुर्थ श्रेणी	पट्टीबंधक वर्ग-1	05 वर्ष	1. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय, संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नाम निर्दिष्ट. 2. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय 3. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संबंधित जिला	-

Raipur, the 28th June 2010

No. F 1-23/09/35/Esstt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the Recruitment to the Chhattisgarh Veterinary Class-III (Executive and Non-Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Veterinary Class-III (Executive and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2009.

   (2) These rule shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means such authority to whom the powers to appoint in the services have been assigned by the Government;

   (b) "Committee" means the selection committee, constituted by the State Government;

   (c) "Examination" means a competitive examination for recruitment conducted under rule 11 of these rules;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

   (f) "Schedule" means the schedule appendend to these rules ;

   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;

   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84, dated 26-12-84 as amended from time to time ;

(j) "Services" means the Chhattisgarh Veterinary Class-III (Executive and Non-Ministerial) Service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service .**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(a) Persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively/officiating the posts specified in the Schedule-I;

(b) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ;

(c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, related scale of pay attached there to and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I ;

Provided that the Government may, from time to time add, to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—

(1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment, by Competitive Examination/Selection;

(b) By promotion of members of the Service specified in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of persons, who hold a substantive or officiating capacity in such posts in such services, as may be specified in this behalf by the State Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of the duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method. The shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require the Appointing Authority may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for Selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However, Appointing Authority should set up a selection committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994, and the directions issued from time to time by General Administration Department shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.**— All appointments to the service after the commencement of these Rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible for competitive examination/ selection, candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(I) **Age** :—

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III, but not attained the age as specified in column (4) of said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years to a women candidates, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government Servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate, holding a post temporary and applying for another post should not be more than 38 year of age. This concession shall also be admissible to the work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee.

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation -The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" (Military) denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on

(a) completion of short-term engagement;

(b) fulfilling the condition of enrollment;

(3) Ex- personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.

(8) Ex-servicemen invalidated out of service.

(e) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum two years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage Incentive programme of the Tribe, Scheduled Caste and Backward Classes welfare Department.

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto five years in respect of the Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur and Maha Raja Praveer Chand Banjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guard for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by General Administrative Department regarding age limit will be applicable.

Note : (1) Candidates, who are found eligible for selection under age the concession mentioned in sub-clause (i) and (ii) of Clause (d) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before of after the selection, they will however continue to be eligible, if they are retrenched from the service of post after submiting the application; age limit shall not be relaxed in any other case.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the examination/selection.

(j) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more then one category mentioned above.

(2) **Educational Qualifications.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III, provided that—

(a) In exceptional cases the Appointing Authority may treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualification prescribed in these rules, but has passed examinations conducted by other Institution/Universities by such standard for which the appointing authority considers the candidate eligible to appear in the examination/selection; and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being Universities not specifically reorganised by the Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the Appointing Authority.

(3) **Fees.**— The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**— Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing authority's decision about eligibility of candidates shall be final.**— The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selections.**—

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination**—Appointing Authority will constitute a selection committee comprising of three members.

(i) The Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may in consultation with the Government, determine, from time to time,

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct Recruitment by Selections**—

(i) The selection for direct recruitment to the service will be held at such time intervals as determined by the Appointing Authority;

(ii) Selection of candidates will be made by the Selection Committee based on interview;

(iii) Selection Committee will be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) ; and the instructions issue by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) There shall be 30% reserved posts for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility, that the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes

and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience in respect to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the State Government.

(8) There shall be reserved post for disabled candidates in accordance with the direction of the General Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Committee.—**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.—**

(1) For preliminary selection of eligible candidate a committee consisting the members as mentioned in column (5) of Schedule-IV shall be constituted.

Provided that for the purpose of the consitution of the Committee under this sub-rule the provisions of section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals as the Appointing Authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be as per the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the Government/General Administration Department, from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion.—** The Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, have completed the period of service shown in column (2) of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in Column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declare equivalent there to by the Government.

Explanation:—

(1) **Manner of computation for eligibility for promotion —**Period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 shall be applicable.

(3) Promotion shall be done according to reservation Roster perscribed for promotion by Government.

15. **Preparation of list of suitable Candidate.—**

(1) The Committee shall prepare a list of such person as satisfy the condition prescribed in Rule-14 above and as held by the Committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of one year from the date of preparation of the list

(2) The critaria for preparation of select list shall be based on seniority subject to fitness as per provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) As per the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Services) Rules, 1961 the name of person included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation—The person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Selection list.—**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select List for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV, to the posts as mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force for a period of one Calendar year.

Provided that, in the event of grave lapse in the conduct on performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the appointing authority and if the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.—**

(1) Appointment of the employees included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such member appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.—** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favourable to him, than that provided in these rules.

21. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation and other condition required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the rules made or orders issued by State Government from time to time, in the regard.

22. **Repeal.**— All rules corresponding to these rules and enforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YAKUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

Classfication of Vety. Service Class III (Executive and Non-Ministerial) Service, Pay Scale and Number of Post included in the Service.

S. No.	*Name of the posts included in the Service*	*Number of Total post*			*Clasifition*	*Scale of Pay*				*Remarks*
		Per.	*Temp.*	*Total*		*Post/ Grade*	*Name of the Rivised Pay Band*	*Pay Band*	*Grade Pay*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Assistant Statistical Officer	19	-	19	Class III (Non Ministerial)	S-8	PB-2	9300-34800	4300	-
2	Marketing Inspector	01	-	01	Class III (Non Ministerial)	S-5	PB-1	5200-20200	2400	Dying Cadre
3	Assistant Veterinary Field Officer	1787	42	1829	Class III (Executive)	S-5	PB-1	5200-20200	2400	
						S-7	PB-2	9300-34800	4200	After 12 Years Service
4	Projector Operator	03	-	03	Class III (Non Ministerial)	S-5	PB-1	5200-20200	2400	Dying Cadre
5	SR. Plant Operator	01	-	01	Class III (Non Ministerial)	S-5	PB-1	5200-20200	2400	Dying Cadre
6	Progress Assistant/ Comp.	22	-	22	Class III (Non Ministerial)	S-4A	PB-1	5200-20200	2200	-
7	Enumerator	18	02	20	Class III (Non Ministerial)	S-4	PB-1	5200-20200	1900	-
8	JR. Plant Operator	03	-	03	Class III (Non Ministerial)	S-4	PB-1	5200-20200	1900	Dying Cadre
9	Lab Technician	36	-	36	Class III (Non Ministerial)	S-5	PB-1	5200-20200	2400	-
10	Field Asstt.	07	-	07	Class III (Non Ministerial)	S-4	PB-1	5200-20200	1900	Dying Cadre
11	Dressor Gr.-1	03	-	03	Class III (Non Ministerial)	S-4	PB-1	5200-20200	1900	-
12	Driver	80	01	81	Class III (Non Ministerial)	S-4	PB-1	5200-20200	1900	-

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

S. No.	Name of the posts	Number of Post	Percentage of Posts to be filled			Remarks
			By direct recruit-ment	By Promotion	By transfer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant Statistical Officer.	19	-	100%	-	-
2.	Marketing Inspector	01	-	-	-	Dying Cadre
3.	Assistant Veterinary field Officer.	1829	90%	10%	-	After completion of 5 years service evaluated as good regular class IV employees (passed Higher Secondary (10+2) examination with Biology group) after under-going departmental training may have promotion oppor-tunity.
4.	Projector Operator	03	-	-	-	Dying Cadre
5.	SR. Plant Operator	01	-	100%	-	Promotion from the post of JR. Plant Operator.
6.	Progress Assistant/Comp.	22	50%	50%	-	Promotion from the post of Enumerator as per seniority.
7.	Enumerator	20	100%	-	-	-
8.	JR. Plant Operator	03	100%	-	-	-
9.	Lab Technician	36	100%	-	-	-
10.	Field Asstt.	07	100%	-	-	-
11.	Dressor Gr. - 1	03	-	100%	-	Promotion from the post of class IV Dressor as per seniority.
12.	Driver	81	100%	-	-	-

SCHEDULE-III
(See Rule-6)

S. No.	Name of Department	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Appointing Authority	Educational qualifications prescribed
1	Veterinary Services & Live-stock Development Department	Marketing Isspector	18 Years	35 Years	Director Of Vety. Services	Bachelor Degree in Commerce with Economics & Statistics Subject Minimum 50% Marks.
2		Assistant Veterinary Field Officer	18 Years	35 Years	Director Of Vety. Services	1- Bachelor Degree in B.Sc. from any recognized Univercity with Biology group Minimum 50% Marks. 2- Must have training of 2 year course from Assistant Veterinary field Officer Training Institute for Departmental promotion minimum 5 years experience as class IV regular employee with Higher secondary examination passed under (10+2) System and passed 2 year training course from Assistant Veterinay field officer Training Institute.
3		Projector Operator	18 Years	35 Years	Director Of Vety. Services	1- Must have passed Higher secondary (10+2) examination 2-Licence of Projector Operator Cinema Operator Two years experience of Projector or Generator Operation Prefernce shall be given to I.T.I Trained.
4		Progress Assistant / Comp.	21 Years	35 Years	Director Of Vety. Services	Bachelor Degree in Economics / Statistics/Mathematics/Sosalogy from recognized Univercity with Minimum 50% Marks.
5		Enumerator	18 Years	35 Years	Director Of Vety. Services	Must have passed Higher secondary (10+2) examination with Minimum 50% Marks.
6		JR. Plant Operator	18 Years	35 Years	Director Of Vety. Services	Must have passed Higher secondary (10+2) examination & Must have Trend from recognized I.T.I in Plant opreting
7		Lab Technician	18 Years	35 Years	Director Of Vety. Services	Must have passed Higher secondary (10+2) examination with Biology group Minimum 50% Marks. Preference shall be given to Bachelor Degree in B.Sc. with Biology group from recognized Univercity.
8		Field Asstt.	18 Years	35 Years	Director Of Vety. Services	Must have passed Higher secondary (10+2) examination
9		Driver	18 Years	35 Years	Director /Additional Director/ Joint/Deputy Director Of Vety. Services	Eight Class passed. (Valid Professional Driving License for Heavy &Light Motor Vehicle).

SCHEDULE-IV
(See Rule-14)

S. No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Eligibility Period	Name of member of the department promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Progress Assistant/ Comp.	Assistant Statistical Officer	05 Years	1. Joint Director of Vety. Services Directorate Nomination by Director of Vety. Services. 2. Deputy Director of Vety. Services Directorate. 3. Assistant Director (Stats.) Directorate.	-
2.	JR. Plant Operator	SR. Plant Operator	05 Years	1. Joint Director of Vety. Services Directorate Nomination by Director of Vety. Services. 2. Deputy Director of Vety. Services Directorate. 3. Deputy Director of Vety. Service of Canstion Distt.	-
3.	Enumerator	Progress Assistant/ Comp.	05 Years	1. Joint Director of Vety. Services Directorate Nomination by Director of Vety. Services. 2. Deputy Director of Vety. Services Directorate. 3. Assistant Director (Stats.) Directorate.	-
4.	Dressor (Class IV)	Dressor Gr.-1	05 Years	1. Joint Director of Vety. Services Directorate Nomination by Director of Vety. Services. 2. Deputy Director of Vety. Services Directorate. 3. Deputy Director of Vety. Services of Canstion Distt.	-

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 जून 2010

क्रमांक 15/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मेंढपार प. ह. नं. 20	4.857	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन मनियारी संभाग, मुंगेली.	मनियारी बैराज का डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 02/अ-82/2006-07/अ,वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	ढोलमौहा प. ह. नं. 01	0.752	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 03/अ-82/2009-10/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सल्का प. ह. नं. 07	0.146	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सल्का व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 05/अ-82/2009-10/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प. ह. नं. 05	1.303	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	रैन कोटा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 08/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सीपत	0.053	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग क्र.-1, बिलासपुर.	सीपत-झलमला मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2010

क्रमांक 33/अ-82/2006-07/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	डाडबछाली प. ह. नं. 01	0.113	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्रमांक 31/अ-82/2006-07/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प. ह. नं. 07	1.249	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सल्का व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्रमांक 02/अ-82/2004-05/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	उपका प. ह. नं. 03	1.247	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	झोका नाला जलाशय डूबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्रमांक 06/अ-82/2009-10/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेकर प. ह. नं. 05	4.673	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	रैन कोटा जलाशय मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक 08/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खैरझिटी प. ह. नं. 05	0.991	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खैरझिटी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	साल्हेओना प. ह. नं. 29	0.239	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	चंडीसागर तालाब के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

रायगढ़, दिनांक 8 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	खैरपुर प. ह. नं. 20	3.521	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स), रायगढ़.	ऊर्दना से कृष्णापुर, खैरपुर मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 20/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कृष्णापुर प. ह. नं. 20.	2.338	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स), रायगढ़.	ऊर्दना से कृष्णापुर, खैरपुर मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पड़िगांव प. ह. नं. 42	1.837	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	पुसौर, सूरजगढ़, नदीगांव मार्ग के कि.मी. 1/2 पर महानदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सूरजगढ़ प. ह. नं. 42	1.466	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	पुसौर, सूरजगढ़, नदीगांव मार्ग के कि.मी. 1/2 पर महानदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक/1623/अ. भू-अ. प्र./02/अ-82/ वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	कसारीडीह प. ह. नं. 18/25	0.481	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग दुर्ग.	ग्राम पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अगस्त 2010

क्रमांक/1659/अ. भू. अ. प्र./20 अ/82/ वर्ष 1986-87.—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/20/अ/82/वर्ष 1986-87 उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक-2 लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा ग्राम-सिकोला प. ह. नं. 57 तहसील व जिला-दुर्ग की निजी भूमि रकबा कुल 14.048 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 के अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर तत्कालीन मध्य प्रदेश राजपत्र में क्रमश: दिनांक 24-04-1987 एवं दिनांक 16-12-1988 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र. 2 लोक निर्माण विभाग रायपुर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-सिकोला

क्रमांक	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
1.	193/6	0.619
योग	1	0.619

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किए जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-रेहूंटा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.43 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
376/1	0.11
376/2, 3	0.06
366/1	0.17
366/2	0.25
378/1	0.08
378/2	0.13
383/1	0.14
383/2	0.28
385	0.20
386	0.22
387/1	0.04
387/3	0.04
387/4	0.29
448	0.25
477/1	0.48
449/2	0.32
447	0.37
444, 445	0.48

	(1)	(2)
	474	0.34
	439	0.14
	475, 476/2	0.04
योग	20	4.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्रमांक/10426/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बेनीपाली, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.94 एकड़ में

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
110/2	0.18
111/1	0.63
111/2	0.12
112	0.32
114/1	0.06
114/2	0.05
114/3	0.11
114/4	0.10
114/5	0.11
116/1	0.32
116/2	0.06
118/1	0.47
118/3	0.44
118/4	0.32
118/5	0.15
119/1	0.70
119/2	0.05
119/3	0.32
119/4	0.44
119/5	0.45
121/3	0.37
122/1	0.03
122/2	0.04
122/3	0.07
122/4	0.08
122/5	0.06
122/6	0.08
125	1.58
126	0.57
127	0.75
128/1	0.14
128/2	0.06
128/3	0.14
129/1	0.03
129/2	0.32
129/3	0.03
129/4	0.29
129/5	0.04
129/6	0.37
131/1	0.30
131/2	0.70
131/3	0.12
131/4	0.06
131/5	0.05
131/6	0.03
131/7	0.10
131/8	0.07
131/9	0.04
131/10	0.04

(1)	(2)
131/11	0.20
131/12	0.10
131/13	0.07
131/14	0.10
131/15	0.08
132/1	0.20
132/2	0.24
133	0.34
134	0.14
135/1	0.13
135/2	0.23
140	0.14
141	0.20
223	1.31
228	1.33
230	0.10
232	0.62
233	0.35
235	0.51
236/1	1.20
236/2	0.40
237/1	0.11
237/2	0.66
239	0.22
योग 73	20.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2010

क्रमांक/10608/भू-अर्जन/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-निमोही, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-117.43 एकड़ में

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/2	1.48
2/2	0.10
3	0.66
4	0.46
5	1.50
6	0.12
7/2	0.25
7/1 ख	0.68
11/1, 11/2, 11/3	0.48
12/1, 12/2	0.80
17/1	0.20
17/2	0.14
18	0.25
119/1	2.03
119/2	1.00
126/2	0.82
132/2	0.10
132/3	0.10
134/1	0.26
134/2	0.10
134/3	0.15
134/4	0.15
134/5	0.10
134/6	0.46
135/2	0.48
136/1	0.35
136/3	0.22
136/4	0.19
136/5	0.23
136/6	0.16
261/1	0.23
261/2	0.87
261/3	0.12
262	0.42
263/1	0.24

(1)	(2)	(1)	(2)
263/2	0.12	363/1	0.62
264/1	0.21	363/2	0.35
264/2	0.21	363/5, 401/1	0.33
310	1.88	364/1, 365/1	0.77
311/1	0.96	368/1	0.62
311/2	0.26	368/3	0.31
311/3	0.20	368/4	1.03
312	0.92	368/5	0.56
324/1	0.22	369/1	0.05
324/2	0.24	369/2 ख, 372	2.45
324/3	0.36	369/2 क	0.04
324/4	0.22	369/2 ग	0.93
331/1	0.18	370/1	0.04
331/2	0.12	371	0.45
331/3	0.35	373/1	0.33
336/1, 348, 349/1	1.41	373/3	0.25
336/2	1.10	373/5	0.10
336/4	0.85	373/6	0.18
336/5	0.45	373/7	0.13
337	0.70	373/8	0.60
338	0.22	373/9	1.50
339/1	0.55	374/1	1.02
339/2	0.28	374/2	0.66
339/3	0.23	374/3	0.12
339/4	0.03	375	0.05
340	0.28	381	0.47
341/1	0.56	383/1	0.41
341/2	0.55	383/2	0.85
342/1	0.06	383/3	0.18
342/2	0.28	383/4	0.40
343	0.44	383/5	0.12
344	0.51	383/6	0.12
346/1	0.32	384/1 क	0.03
346/2	0.35	384/1 घ	0.20
346/3	0.07	384/1 ख	0.84
347/3	1.76	384/1 ग	1.08
349/2	0.14	385	0.32
350/1	0.15	386	1.30
351/2	0.17	387/1	1.25
352/3	0.35	390	0.08
357/1	0.32	393/1	0.66
358	0.73	393/2	0.61
360	1.50	393/3	0.30
361/1	0.13	393/4	0.24
361/2 ख	0.15	393/5	0.30
361/2 क	0.24	393/6	0.29

(1)	(2)	(1)	(2)
394	0.83	434/5	0.12
395	0.50	434/6	0.12
396/2	0.93	435/2	1.07
397/1	0.26	435/1 ख	0.78
397/3	0.34	435/1 क	0.07
399/1	1.95	436/1	0.34
399/3	0.31	436/3	0.34
399/6	0.26	438/1	1.46
399/9	0.41	438/2	0.53
399/4 ख	1.32	438/3	0.40
400	0.89	439/1	0.08
401/2	0.45	439/2	0.58
402	0.24	439/3	0.20
403/1	0.70	439/4	0.40
404	0.24	439/5	0.40
405/1	0.08	439/6	0.35
405/2, 407/1	0.98	439/7	0.07
406	0.44	440/3	0.38
407/2	0.22	440/4	0.20
408/1	1.04	440/5	0.18
408/2	1.46	440/6	0.21
413/2	0.29	442/1	2.89
414	0.60	443/1	0.67
415/1	0.20	443/2	0.67
415/2	0.43	445/1	0.23
415/3	0.60	445/3	0.92
416/2	0.23	445/2 ख	0.35
416/3	0.10	445/2 क	1.43
417/1	0.43	446	1.75
417/4	0.38	447/1	1.21
417/5	0.56	447/2	1.22
419	1.00	450/2, 451	0.75
420	1.24	452/1	0.16
421/2	0.23	452/2	1.20
422	0.43	452/3	1.70
426, 427/1	0.25	453/1 घ/3	0.36
427/2, 430/1	0.49	453/1 ख/3	0.20
429	0.73	453/1 क/3	0.51
430/2, 431	1.01	453/1 ग/3	0.11
432/2	0.50	453/2/3	0.84
433/1	2.04	461/1/377	0.04
433/2	1.00	461/2/377	0.25
434/1	0.62	461/3/377	0.03
434/2	0.13	462/404	0.75
434/3	0.87	464/1/366	0.22
434/4	0.14	418/1	0.84

(1)	(2)
418/2	0.74
योग 220	177.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2010

प्र. क्र. 7441/अ-82/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कुदुरमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.76 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
309/1 क	0.20
309/1 ख	0.19
309/2 क	0.19
309/2 ख	0.05
309/2 ग	0.05
309/2 घ	0.05
309/2 ङ	0.05
310	0.70
311/1	0.07
311/2	0.02
311/3	0.06
311/4	0.06
311/5	0.02
311/6	0.02
312	0.06
321	0.30
323/1	0.26
323/2	0.26
324	0.98
325/1	0.06
325/2	0.06
325/3	0.05
योग 22	3.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2010

प्र. क्र. 7443/अ-82/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-ढ़नढ़नी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-100.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
9/2/क	0.15
9/2/ख	0.15
9/2/ग	0.15
9/2/घ	0.15
10/1 क	0.87
10/1 ख	0.73
59/1	0.73
59/2	0.09
10/1 ग	0.72
59/3	0.25
105/1	0.47
10/1 घ	0.50
59/4	0.06
59/5	0.08
105/2	0.47
11/1	0.04
39	0.42
11/2	0.04
11/3	0.04
11/4	0.04
11/5	0.04
12	0.12
23	0.96
24	0.57
25	0.80
13	0.62
34/1	0.54
14	0.67
20	0.75
121	0.42
130	0.10
15	0.10
17	0.80
18	0.45
16	0.63
38	0.71
109/2	0.10
43	0.37
46/1	0.10
19	0.28
21	1.65
22	0.22
31	1.34
115	1.83
27/2	0.42

(1)	(2)
27/3	0.15
28/2	1.45
29	0.42
28/3	1.85
30/1	0.75
156	1.05
32	0.65
73	0.25
33	0.33
34/2	0.54
35	0.64
37	0.50
49/1	0.83
113	0.87
36/1	0.75
75	0.15
36/2	0.61
36/3	0.38
54	0.09
56	0.07
55	0.25
36/4	0.40
40	0.10
41	0.90
44	0.15
45/1	1.39
95/1	0.12
45/2	0.04
95/2	0.04
46/2	0.46
47/1	0.86
47/2	0.24
48	1.10
49/2	0.03
119	0.87
179	0.79
180/1	0.10
50/1	0.44
109/1 क	0.68
50/2	0.36
109/1 ख	0.67
51/1	0.08
52	0.37
53	0.80
71	0.39
88	0.12
89	0.24
116	0.60

(1)	(2)	(1)	(2)
117	0.60	138/6	0.08
129	0.80	165/2	0.10
74	1.00	172/2	0.30
76	0.23	178/2	0.08
120	0.70	181/3	0.25
86	0.10	124/2	0.80
90	0.11	126/1	0.44
92	0.49	127/1	0.48
93	0.05	127/6	0.90
118	0.62	128	1.21
91	0.54	138/4	0.30
94	0.36	140	0.08
124/1	0.10	157	0.26
290	0.70	165/1	0.51
96	0.06	165/3	0.13
97/1	0.75	172/1	0.35
97/2	0.72	181/2	0.25
98	0.30	186	0.09
123	0.22	287	0.10
97/3	0.50	286	0.15
99	0.22	126/2	0.06
100	0.38	127/2	0.53
101	0.44	178/1	0.58
102	0.83	127/3	0.50
104	1.90	127/5	0.42
103/1	1.01	138/3	0.10
136/2	0.10	138/5	0.12
137/1	0.29	181/1	0.25
138/1	0.05	131/1	0.30
174	0.25	131/2	0.54
177	0.44	131/3	0.30
103/2	0.20	132	0.26
137/3	0.09	133/1 क	0.22
106	0.63	133/1 ख	0.22
107	0.40	133/1 ग	0.22
108	0.40	133/1 घ	0.22
109/1 ग	1.34	133/3 क	0.10
109/1 घ	1.34	133/3 ख	0.05
51/2	0.21	133/3 ग	0.05
110	0.42	133/3 घ	0.05
111	0.14	133/3 ङ	0.05
112/1	0.34	133/3 च	0.05
114	1.55	133/3 छ	0.05
122	0.35	133/3 क	0.10
125	0.43	134	0.46
127/4	0.95	135	3.71
127/7	0.46	150	1.74
138/2	0.25		

(1)	(2)
136/1	0.13
137/2	0.09
139	0.48
167/1	0.24
176	0.16
141	0.79
144	0.83
171	0.07
175	0.63
180/2	0.04
142/1	0.35
143/1	0.14
142/2	0.10
143/2	0.33
142/3	0.21
143/3	0.37
143/4	0.16
146/1	0.20
148/1	0.12
146/2	0.20
148/2	0.10
148/3	0.30
151	0.11
152	0.03
153/1	0.26
153/2	0.55
154	0.17
155/1	0.40
155/2	0.30
155/3	0.25
155/4	0.25
155/5	0.25
155/6	0.25
155/7	0.25
155/8	0.25
155/9	0.25
155/10	0.25
155/11	0.15
158/1	0.17
160	0.43
159	0.05
161/2	0.09
163	0.08
288	0.22
289	0.61
166	0.15
167/2	0.05
173	0.25
274/5	0.06
291	0.14
292	0.10
योग	100.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2010

प्र. क्र. 7445/अ-82/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-सरगबुंदिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-246.10 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/1 क	0.04
1/1 ख	0.11
1/2 क	0.04
1/2 ख	0.03
1/2 ग	0.03
1/2 घ	0.10
1/2 ङ	0.10
1/3	0.08
2/10 ग	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
1/4 क	0.24	2/9 क/9, 2/17 ख/3	0.05
2/4	0.50	2/9 क/10, 2/17 क/2	0.05
1/4 ख	0.06	2/9 क/11, 2/17 ग/2	0.05
1/5 क	0.08	2/9 क/12, 2/17 ग/3	0.05
1/5 ख	0.14	2/9 क/13, 2/17 च/2	0.05
1/5 ग	0.08	2/9 क/14, 2/17 ञ/2	0.05
1/6 क	0.02	2/9 क/15, 2/17 घ/2	0.05
2/35 क	0.02	2/9 क/16, 2/17 छ/2	0.05
1/6 ख	0.05	2/10 क	0.06
2/1 क	0.30	2/10 ख	0.15
2/1 ख	0.30	2/10 घ	0.04
2/1 ग	0.30	2/11 क, 2/16 क	0.05
2/1 घ	0.30	2/11 ग/1, 2/16 ग/1	0.04
2/1 ङ	0.30	2/11 ग/2, 2/16 ग/2	0.035
2/3	0.03	2/11 ग/3, 2/16 ग/3	0.035
2/9 क/1, 2/17 क/1	0.03	2/11 घ, 2/16 घ	0.11
2/6 क	0.09	2/12 क	0.05
2/6 ख	0.06	2/12 ख	0.05
2/6 ग	0.06	2/13 क	0.05
2/6 घ	0.10	2/13 ख	0.05
2/6 ङ	0.10	2/14 क, 2/15 ख/1	0.03
2/6 च	0.10	2/19 क/1	0.03
2/6 छ	0.10	2/19 क/2	0.05
2/6 ज	0.07	2/19 क/3	0.05
2/6 झ	0.03	2/19 क/4	0.04
2/6 ञ	0.04	2/19 क/5	0.05
2/6 ट	0.05	2/19 क/6	0.04
2/6 ठ	0.05	2/19 ग	0.05
2/8 क, 2/18 क	0.05	2/19 घ	0.04
2/8 ग, 2/18 ग	0.15	2/19 ङ	0.03
2/8 घ, 2/18 घ	0.15	2/20 क	1.05
2/8 ङ, 2/18 ङ	0.05	2/20 ख	0.15
2/8 च, 2/18 च	0.05	2/20 ग	0.15
2/8 छ, 2/18 छ	0.05	2/20 घ	0.15
2/8 ज, 2/18 ज	0.10	2/21	1.50
2/8 झ, 2/18 झ	0.03	2/22	1.50
2/8 ञ, 2/18 ञ	0.05	2/23	1.50
2/8 ट, 2/18 ट	0.02	2/24 क	0.30
2/8 ठ, 2/18 ठ	0.05	2/24 ख	0.30
2/9 क /2, 2/17 ख/1	0.08	2/24 ग	0.30
2/9 क/3, 2/17 ग/1	0.08	2/24 घ	0.30
2/9 क/4, 2/17 घ/1	0.05	2/24 ङ	0.30
2/9 क/5, 2/17 ङ/1	0.05	2/25 क	1.14
2/9 क/6, 2/17 च/1	0.05	2/25 ख	0.36
2/9 क/7, 2/17 छ/1	0.05	2/26 क	1.35
2/9 क/8, 2/17 ख/2	0.05	2/27 क/1	0.45

(1)	(2)	(1)	(2)
2/27 क/2	0.45	16/2 ङ/2	0.10
2/27 क/3	0.45	24/3	3.60
2/28 क	0.50	24/4	1.00
2/28 ख	0.25	46/1	0.94
2/28 ग	0.25	50/1	0.46
2/28 घ	0.25	75/1	0.29
2/28 ङ	0.15	16/4 क	0.01
2/28 च	0.10	16/7 क	0.02
2/29 क	0.38	16/11 क	0.04
2/29 ख	0.38	16/4 घ	0.03
2/29 ग	0.37	16/4 ङ	0.03
2/29 घ	0.37	16/4 ग	0.05
2/30	1.50	16/6 क	0.34
2/31	1.50	16/10 क	0.19
2/32 क	0.50	16/13 क/1	0.04
2/32 ख	0.40	16/6 ख	0.11
2/32 ग	0.40	16/10 ख	0.07
2/32 घ	0.15	16/13 क/2	0.01
2/32 ङ	0.05	16/6 ग	0.11
2/33 क	0.525	16/10 ग	0.07
2/33 ख	0.525	16/13/क/3	0.02
2/33 ग	0.15	16/6 घ	0.04
2/33 घ	0.15	16/10 घ	0.02
2/33 ङ	0.15	16/13 क/4	0.01
2/34 क	1.20	16/6 ङ	0.03
2/34 ख	0.10	16/10 ङ	0.02
2/34 ग	0.10	16/6 च	0.04
2/34 घ.	0.10	16/10 च	0.02
2/35 ख	0.15	16/6 छ	0.06
2/35 ग	0.10	16/10 छ	0.04
16/2 क/1	0.60	16/13 क/5	0.01
16/2 क/2	0.10	16/6 ज	0.06
16/2 ग/1	0.07	16/10 ज	0.04
16/2 ग/2	0.05	16/13 क/6	0.01
16/2 ग/3	0.05	16/6 झ	0.06
16/2 ग/4	0.05	16/10 झ	0.04
16/2 ग/5	0.10	16/13 क/7	0.01
16/2 ग/6	0.10	16/6 ञ	0.06
16/2 ग/7	0.10	16/10 ञ	0.04
16/2 ग/8	0.13	16/13 क/8	0.01
16/2 ग/9	0.05	16/6 ट	0.07
16/2 घ/1	0.45	16/10 ट	0.04
16/2 घ/2	0.10	16/6 ठ	0.33
16/2 घ/3	0.05	16/10 ठ	0.20
16/2 घ/4	0.05	16/13 क/9	0.04
16/2 घ/5	0.05	16/6 ड	0.33
16/2 ङ/1	0.60	16/10 ड	0.20
		16/13 क/10	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
16/7 ख	0.03	16/21 घ	0.20
16/8 क	0.01	16/21 ङ	0.20
16/31 क	0.04	16/22 क	0.12
16/8 ग	0.13	16/23	1.00
16/8 घ	0.05	16/24 क	0.33
16/8 ङ	0.05	16/24 ग	0.32
16/11 ख	0.20	16/24 घ	0.32
16/11 ग	0.05	16/26	1.00
16/11 घ/1	0.07	16/27	1.00
16/11 घ/2	0.08	16/30 क	0.25
16/11 ङ	0.04	16/30 ख	0.15
16/11 च	0.04	16/30 ग	0.15
16/11 छ	0.05	16/30 घ	0.15
16/11 ज	0.05	16/30 ङ	0.15
16/11 झ	0.03	16/30 च	0.15
16/15 क	0.10	16/31 ख	0.14
16/15 ख	0.30	16/31 ग	0.10
16/15 ग	0.30	16/31 घ	0.05
16/15 घ	0.30	18/1 क	1.00
16/16 क	0.07	18/1 ख	0.50
16/16 ग	0.05	18/2 क	0.25
115/5 घ	0.15	18/2 ख	0.25
16/16 घ	0.07	18/2 ग	0.25
16/16 ङ	0.07	18/2 घ	0.25
16/16 च	0.07	18/3	0.35
16/17	5.74	18/4	1.50
16/18 क	0.14	54/2	0.34
149/5 क	0.09	18/5	0.70
149/6 क	0.06	18/6 क	0.25
149/7 क	0.14	18/6 ख	0.25
149/8 क	0.20	18/6 ग	0.20
16/18 ख	0.13	18/6 घ	0.30
149/5 ख	0.10	20/2	0.40
149/6 ख	0.07	22/2	0.50
149/7 ख	0.13	20/3 क	0.12
149/8 ख	0.20	20/3 ख	0.12
16/18 ग	0.13	22/1 क	0.85
149/5 ग	0.09	22/1 ख	0.15
149/6 ग	0.07	22/3	0.14
149/7 ग	0.13	22/4	1.00
149/8 ग	0.20	22/5	0.14
16/19	0.15	22/6	0.14
146/3	0.06	22/7	0.14
146/4	0.30	22/8	0.14
16/21 क	0.08	22/9	0.14
16/21 ग	0.20	23/1	2.45

(1)	(2)	(1)	(2)
23/3	4.00	30/4 ख	0.15
16/3 क	0.35	42/2	0.10
24/1 क	0.53	43/2 ख	0.11
24/1 ख	0.18	62/2	0.30
24/1 ग	0.37	30/2 ग	0.20
24/1 घ	0.12	30/3 ग	0.21
46/2	0.23	30/4 ग	0.14
50/2	0.11	42/3	0.11
24/1 ङ	0.52	43/2 ग	0.10
24/1 च	0.20	62/3	0.28
24/1 छ	0.36	30/2 घ	0.20
24/1 ज	0.12	30/3 घ	0.21
46/3	0.23	30/4 घ	0.14
50/3	0.11	42/4	0.11
27	1.32	43/2 घ	0.10
28/2	0.20	62/4	0.28
29	0.26	31/1 क	0.10
30/1 क/1	0.25	130/2 ग	0.15
30/5 क	0.07	131/1 क	0.15
164/3 क	0.09	132/1 क	0.23
177/2 क	0.23	132/1 ङ	0.05
30/1 क/2	0.50	133/1	0.15
30/1 ख	0.75	132/1 ग	0.28
30/5 ख	0.07	146/2 क	0.18
164/3 ख	0.09	154/3 क	0.07
177/2 ख	0.23	31/1 ख	0.11
30/1 ग	0.74	132/1 घ	0.05
30/5 ग	0.07	133/2	0.15
164/3 ग	0.09	146/2 ख	0.18
177/2 ग	0.24	154/3 ख	0.08
30/1 घ	0.74	31/2	0.21
30/5 घ	0.07	124/7	0.45
164/3 घ	0.09	32	1.07
177/2 घ	0.24	33	1.27
30/1 ङ	0.74	34	0.22
30/5 ङ	0.07	35	0.48
164/3 ङ	0.09	71	1.57
177/2 ङ	0.24	36	0.33
30/2 क	0.20	37	0.38
30/3 क	0.21	38	0.32
30/4 क	0.15	39	0.40
42/1	0.10	40	0.16
43/2 क	0.11	41	1.50
62/1	0.28	43/1 क	0.40
30/2 ख	0.20	43/1 ख	0.15
30/3 ख	0.21	43/1 ग	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
43/3	1.00	53/6 ख	0.08
43/4	1.00	54/1 क	0.10
43/5	1.00	54/1 ख	0.05
83/1	2.10	54/1 ग	0.05
88/2	1.11	54/1 घ	0.05
44/1	0.14	54/1 ङ	0.05
44/2	0.16	55/1 क	0.10
44/3	0.14	55/4	0.14
44/4	0.14	55/1 ख	0.25
44/5	0.14	55/2 क	0.18
44/6	0.16	55/2 ख	0.17
44/7	0.16	55/5	0.14
45	1.06	55/3 क	0.20
47	0.66	55/3 ख	0.05
48/1	0.22	55/3 ग	0.05
48/2	0.07	55/3 घ	0.05
48/3	0.35	55/6	0.15
49	0.20	56/1 क	0.10
51	0.90	56/1 ख	0.08
52	0.94	56/1 ग	0.08
53/1	0.17	56/2	0.06
176/2	0.12	310/1	0.19
53/2 क	0.19	311/1	0.12
57/3 ख	0.13	56/3 क	0.085
57/2	0.55	56/3 ख	0.025
58/3	0.02	56/3 ग	0.03
53/2 ख	0.25	56/3 घ	0.03
53/2 ग	0.25	56/4	0.17
53/3 क	0.17	56/5	0.07
176/1 क	0.13	311/3	0.11
53/3 ख/1	0.09	56/6 क	0.03
176/1 घ	0.13	125/5 क, 126/5 क	0.11
53/3 ख/2	0.09	310/3 क	0.10
53/3 ग	0.17	311/4 क	0.05
176/1 ग	0.13	56/6 ख	0.03
53/3 घ	0.17	125/5 ख, 126/5 ख	0.10
176/1 ख	0.12	310/3 ख	0.09
53/4 क	0.09	311/4 ख	0.06
176/4	0.13	56/7	0.07
53/4 ख	0.09	310/4	0.18
53/5 क	0.09	311/5	0.11
176/5	0.05	57/10 क	0.50
177/1	0.08	57/10 ख	0.50
53/5 ख	0.08	57/3 क	0.06
53/6 क	0.09	57/4	0.16
176/6	0.13	60	0.26
		162/2	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
57/5	0.10	72/3	0.06
59/1	1.36	147/1 ग	0.06
57/6 क	0.35	72/4	0.06
57/7 क	0.11	147/1 घ	0.06
58/4 क	0.08	72/5	0.22
57/6 ख	0.12	147/1 ङ	0.25
57/7 ख	0.04	72/6	0.22
58/4 ख	0.03	147/1 च	0.25
162/1 ख	0.05	72/7	0.22
57/6 ग	0.12	147/1 छ	0.25
58/4 ग	0.03	72/8	0.22
57/7 ग	0.04	147/1 ज	0.25
162/1 ग	0.05	73	5.50
57/6 घ	0.12	74/1	2.89
58/4 घ	0.02	74/2	1.56
57/7 घ	0.02	74/3	0.25
162/1 घ	0.05	74/4	0.25
57/6 ङ	0.36	74/5	0.25
58/4 ङ	0.08	74/6	0.25
57/7 ङ	0.10	74/7	0.25
162/1 ङ	0.15	75/2 क	1.21
57/6 च	0.36	75/2 ख	0.20
58/4 च	0.08	75/2 ग	0.20
57/7 च	0.10	75/2 घ	0.15
162/1 च	0.14	75/2 ङ	0.15
57/8	0.67	75/2 च	0.50
92/2 क	0.14	75/2 छ	0.25
57/9	0.50	75/2 ज	0.25
57/11	0.50	75/2 झ	0.20
57/12	0.20	76	0.18
58/1	1.15	77/3 क	0.14
59/2	1.00	77/3 ख	0.14
154/2, 155/2	0.20	77/3 ग	0.14
58/2	0.25	80	1.48
77/2	1.14	82/1	0.50
149/3	0.63	82/2	0.50
149/4	0.40	83/2	2.10
61/1	1.01	128/1	0.89
61/2 क	0.76	128/2	0.90
61/2 ख	0.25	129	0.30
62/5	0.15	130/1	3.79
62/6	0.20	130/3	0.94
70	3.00	132/4	0.30
72/1	0.06	132/5	0.07
147/1 क	0.06	82/3	0.70
72/2	0.06	16	0.85
147/1 ख	0.06	84/1	1.60

(1)	(2)
85/1 क	0.72
84/2	0.15
84/3	0.15
84/4	0.50
84/5	0.20
84/6	0.20
84/7	0.20
84/8	0.20
84/9	0.20
84/10	0.20
84/11	0.20
84/12	0.15
85/1 ख	0.20
85/1 ग	0.20
85/1 घ	0.20
85/1 ङ	0.20
85/1 च	0.20
85/1 छ	0.20
85/2	1.90
85/3	1.91
86/1	0.20
86/2	0.25
86/3	0.25
86/4	0.20
86/5	0.16
87/1	0.77
88/1	1.12
89	0.68
90	1.15
91/1	0.60
308	3.46
92/2 ग	0.13
95/2 क	0.01
95/4 क	0.01
95/2 ग	0.03
95/2 घ	0.03
95/5 क	0.0[illegible]
98/13 क	0.20
98/13 ख	[illegible]
98/13 ग	[illegible]
98/13 घ	0.10
98/14 क	0.65
100/8 क	0.05
100/8 ग	0.07
100/8 घ	0.04
100/8 ङ	0.04
100/13 क/1	0.04
100/13 क/2	0.04
100/13 क/3	0.04
100/14 क	0.10
100/14 ग	0.15
112/2 क	0.10
112/2 ग	0.12
112/4 क	0.10
113/1	0.03
113/3	0.10
113/4	0.01
113/5	0.01
113/6	0.01
113/7	0.01
114	0.04
115/1 क	0.15
116/3 क	0.30
117/4 क	0.07
117/6 क	0.24
158/2 क/1	0.14
115/1 ख	0.15
117/ 4 ख	0.07
115/1 ग	0.15
116/3 ख	0.17
116/6 क	0.12
117/4 ग	0.06
117/6 ख	0.24
158/2 ख	0.33
115/1 घ	0.13
116/6 ख	0.29
117/2	0.26
117/4 घ	0.06
158/2 ग	0.33
115/2	0.46
115/3	55
115/4	0.70
115/5 क	0.05
127/2 ख/2	0.12
115/5 ख	0.15
115/5 ग	0.16
115/5 ङ	0.05
127/2 ख/3	0.12
116/1	0.89
116/2 क	0.29
116/4 क	0.10
116/2 ख	0.29
116/4 ख	0.10

(1)	(2)
124/2 क/2	0.22
116/2 ग	0.29
116/4 ग	0.10
116/2 घ	0.20
116/2 ङ	0.09
116/4 घ	0.10
116/5 क	0.77
117/1	0.20
117/3	0.30
117/5	0.48
117/7	0.16
117/8	0.12
117/9	0.20
118/1 क	0.75
118/1 ख	0.10
118/2 क	0.15
118/2 ङ	0.21
118/2 च	0.17
119/1	0.12
119/7	0.23
307/1 ग	0.34
118/2 ख	0.09
118/2 घ	0.60
118/2 छ	0.32
119/2	0.07
119/3	0.07
119/5	0.08
119/8	0.57
307/1 ख	0.47
118/2 ग	0.21
119/4	0.42
119/6	0.20
307/1 क	0.99
121/2 क	0.85
121/4 ट	0.37
121/6	0.16
122/1	1.93
124/2 क/1	0.11
124/2 क/3 क	0.07
124/2 क/3 ख	0.07
124/2 क/3 ग	0.08
124/2 क/4	0.22
124/2 क/5	0.05
124/2 क/6	0.05
124/3	0.20
124/4 क/1	0.11

(1)	(2)
124/4 क/2	0.07
124/4 ख/1	0.14
124/4 ख/1	0.14
124/5	0.20
124/6	0.25
127/1 क	0.10
127/1 ख	0.225
127/3 ख	0.125
127/1 ग	0.225
127/3 ग	0.225
127/2 क/1	0.04
127/2 क/2	0.15
127/2 क/3	0.15
127/2 ख/1	0.05
127/2 ग/1	0.32
127/2 ग/2	0.15
127/3 क	0.20
130/2 ख	0.15
131/1 ख	0.03
132/1 ख	0.26
131/2 क	0.01
132/2	0.02
131/2 ख	0.03
132/6 क	0.02
131/2 ग	0.03
132/6 ख	0.02
131/2 घ	0.03
132/6 ग	0.02
131/2 ङ	0.02
132/6 घ	0.03
131/2 च	0.02
132/6 ङ	0.03
131/2 छ	0.02
132/6 च	0.03
131/2 ज	0.02
132/6 छ	0.03
132/3 क	0.10
132/3 ख	0.10
132/3 ग	0.10
138/2	0.25
165	1.18
146/1	0.35
149/1 क	0.07
154/6 क, 155/3 क	0.06
149/1 ख	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
154/6 ख, 155/3 ख	0.06	157/7	0.15
149/1 ग	0.07	157/8	0.15
154/6 ग, 155/3 ग	0.06	157/9	0.15
149/1 घ	0.07	158/1 क	0.10
154/6 घ, 155/3 घ	0.06	158/1 ख	0.30
149/1 ङ	0.07	158/1 ग	0.30
154/6 ङ, 155/3 ङ	0.06	158/1 घ	0.30
149/2 क	0.18	158/2 क/2	0.20
149/2 ठ	0.02	158/3 क	0.49
149/2 ख	0.18	158/3 ख	0.40
149/2 ट	0.02	158/3 ग	0.40
149/2 ग	0.18	159/1 क	0.06
149/2 ञ	0.02	159/1 घं	0.15
149/2 घ	0.16	159/1 ख	0.14
149/2 झ	0.02	159/1 ग	0.14
149/2 ङ	0.15	159/1 ङ	0.15
149/2 ज	0.02	159/2 क	0.20
149/2 च	0.15	159/2 ख	0.15
149/2 छ	0.02	159/2 ग/1	0.10
149/9	0.25	159/2 ग/2	0.05
149/11	0.75	159/2 घ	0.08
149/10	0.62	159/2 ङ	0.07
154/1	0.57	160/1	0.33
155/1	0.10	160/2	0.33
154/4	0.15	160/3	0.33
154/5 क/1	0.40	161	0.27
154/5 क/2	0.10	167/2	1.20
154/5 ख/1	0.30	168	0.06
154/5 ख/2	0.10	169	0.06
154/5 ख/3	0.10	172	.31
156/1	0.12	174	0.42
156/2	0.13	162/1 क/1	0.03
156/3	0.12	162/1 क/2	0.07
156/4	0.12	162/1 छ	0.39
156/5	0.12	162/3 क	0.11
156/6	0.19	162/3 ख	0.10
157/1 क	0.10	163/1	1.16
157/1 ख	0.10	163/2	0.50
157/2 क	0.07	163/3	0.50
157/2 ख	0.07	164/1	0.45
157/2 ग	0.07	164/2 क	0.23
157/2 घ	0.07	164/2 ख	0.23
157/3	0.15	164/2 ग	0.22
157/4	0.15	164/2 घ	0.22
157/5	0.15	166	0.74
157/6	0.15	170	0.32

(1)	(2)
171	0.27
175	0.50
178	1.52
179	0.17
182	0.17
176/3	0.32
177/3	0.19
180	0.58
181	0.80
183	0.13
184	1.13
185	0.05
186	0.03
187/1	0.40
187/2	0.20
188/1	0.20
188/2	0.10
309	0.47
310/2	0.19
311/2	0.46
312/1	0.80
312/2	0.80
योग	246.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राज पाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ 1/33/दो गृह/भापुसे/2001.—भारत शासन, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11026/19/2003-पीएमए दिनांक 27-4-2004 के द्वारा "शत्रु से सीधे लड़ते हुए या बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए चोट/घाव लगने से जख्मी" उन पुलिस कर्मियों को "पराक्रम पदक" प्रदान करने हेतु पुलिस महानिदेशक को अधिकृत किया गया है.

उपरोक्त पदक प्रदान करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के द्वारा योग्य/उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पराक्रम पदक प्रदाय करने हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों से पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण चयन/उपयुक्तता की गुणवत्ता एवं मूल्यांकन उपरांत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को "पराक्रम पदक" प्रदाय किया जाता है :—

1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, पुमनि, बिलासपुर रेंज, तत्का. नपुअ कोतवाली रायपुर
2. श्री अजितेश सिंह, निरीक्षक ज़िला बलरामपुर
3. श्री बिन्जवार सिन्हा, प्र.आर. क्र. 43 10वीं वाहिनी, छसबल सरगुजा
4. श्री रामप्रसाद साहू, आर. क्र. 521 10वीं वाहिनी, छसबल सरगुजा
5. श्री झल्लू प्रसाद नेवरे (शहीद) आर. क्र. 199 2री वाहिनी, छसबल सकरी बिलासपुर
6. श्री कुशलचंद टोप्पो, पीसी, 2री वाहिनी छसबल सकरी बिलासपुर
7. श्री लिबन मिंज, एपीसी, 2री वाहिनी छसबल सकरी बिलासपुर
8. श्री कृपाशंकर शुक्ला, एपीसी, 2री वाहिनी, छसबल सकरी बिलासपुर
9. श्री पुनेश्वर सिंह, प्र. आर. क्र. 10, 2री वाहिनी, छसबल सकरी बिलासपुर
10. श्री नंदलाल लकड़ा, आर. क्र. 210 2री वाहिनी छसबल सकरी बिलासपुर
11. श्री नीरज शर्मा, आर. क्र. 159 2री वाहिनी, छसबल सकरी बिलासपुर
12. श्री बैजनाथ सिंह, आर. क्र. 544 2री वाहिनी, छसबल सकरी बिलासपुर

13. श्री सिलवेस्तर तिर्की, आर. क्र. 287 2री वाहिनी, छसबल सकरी बिलासपुर
14. श्री हलवंत पैकरा, आर. क्र. 198 2री वाहिनी, छसबल सकरी बिलासपुर
15. श्री एच. एस. पैकरा, सउनि जिला जशपुर
16. श्री सूरजनाथ, प्र. आर. क्र. 43 जिला जशपुर
17. श्री स्वतंत्र राय, प्र. आर. क्र. 195 जिला जशपुर
18. श्री मानेश्वर साहू, आर. क्र. 307 जिला जशपुर
19. श्री विरेन्द्र तेंदुआ, आर. क्र. 309 जिला जशपुर
20. श्री श्याम सुन्दर, आर. क्र. 303 जिला जशपुर
21. श्री प्रहलाद राठौर, सउनि जिला जशपुर
22. श्री प्रमोद कुमार किस्पोट्टा, उनि, जिला राजनांदगांव
23. श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, एपीसी, 6वीं वाहिनी रायगढ़
24. श्री नरेन्द्र कुमार आर. क्र. 15222053 सीआरपीएफ 12वीं बटा. बी. कम्प. कडुवा ज. क.
25. श्री राजेन्द्र चक्रवर्ती आर. क्र. 326 जिला राजनांदगांव
26. श्री बेदराम चन्द्रवंशी आर. क्र. 428 जिला राजनांदगांव
27. श्री मनोज खिलाड़ी, एसडीओपी, जिला राजनांदगांव
28. श्री आर. पी. तिवारी, निरीक्षक जिला राजनांदगांव
29. श्री मो. यासिन खान, आर. क्र. 497 जिला राजनांदगांव
30. श्री कुमार मंगलम, आर. क्र. 557 जिला राजनांदगांव
31. श्री करीम अंसारी, आर. क्र. 606 जिला राजनांदगांव
32. श्री गणेश चौहान, आर. क्र. 732 जिला राजनांदगांव
33. श्री ज्ञानेन्द्र साहू, आर. क्र. 93 जिला राजनांदगांव
34. श्री राजाराम सिंह, पीसी 7वीं वाहिनी छसबल भिलाई
35. श्री राजनाथ एक्का, पीसी 7वीं वाहिनी छसबल भिलाई
36. श्री मनोष राय, आर. 563 7वीं वाहिनी छसबल भिलाई
37. श्री लक्ष्मीनारायण, प्र. आर. क्र. 745 एसटीएफ 8वीं वाहिनी छसबल राजनांदगांव
38. श्री संतोष वर्मा, आर. क्रं. 471 एसटीएफ 8वीं वाहिनी छसबल राजनांदगांव
39. श्री अचल भगत, आर. क्र. 544 एसटीएफ 8वीं वाहिनी छसबल राजनांदगांव
40. श्री के. चन्द्रपा, प्र. आर. 850833868, 41वीं वाहिनी सीआरपीएफ
41. श्री सतेश कुमार सिंह, आर. क्र. 913265891, 41वीं वाहिनी सीआरपीएफ
42. श्री पूरनलाल समुंद, प्र. आर. क्र. 150 जिला बीजापुर
43. श्री बनारसी लाल सिदार, आर. क्र. 569 जिला बीजापुर
44. श्री रामप्रवेश, प्र. आर. एफ क्र. 175 वाहिनी केरिपुबल कैम्प जिला कांकेर
45. श्री मनोज कुमार, आर. एफ क्र. 175 वाहिनी केरिपुबल कैम्प जिला कांकेर

हस्ता./-

(विश्वरंजन)
पुलिस महानिदेशक.